

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया

सूचना

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के न्यायालय में विचाराधीन वादों के त्वरित निष्पादन हेतु प्रमंडल अंतर्गत सभी विद्वान अधिवक्ताओं/पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय दिवस में उपस्थिति/समयावेदन देकर सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपने वादों को नियमित रूप से संचालित करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वादों की निर्धारित तीन लगातार तिथियों में यदि पक्षकार अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहते हैं तो वाद को "प्रमाद में खारिज" (Dismissed for default) अथवा अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों/तथ्यों के आधार पर संमुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उनपर होगी।


कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहेंगे।

ह0/-

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक-02/न्या0-08-27/2013403..... पूर्णिया, दिनांक 03-02-24
प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/सचिव/सरकारी अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया/कटिहार/अररिया
/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


आयुक्त के सचिव
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।